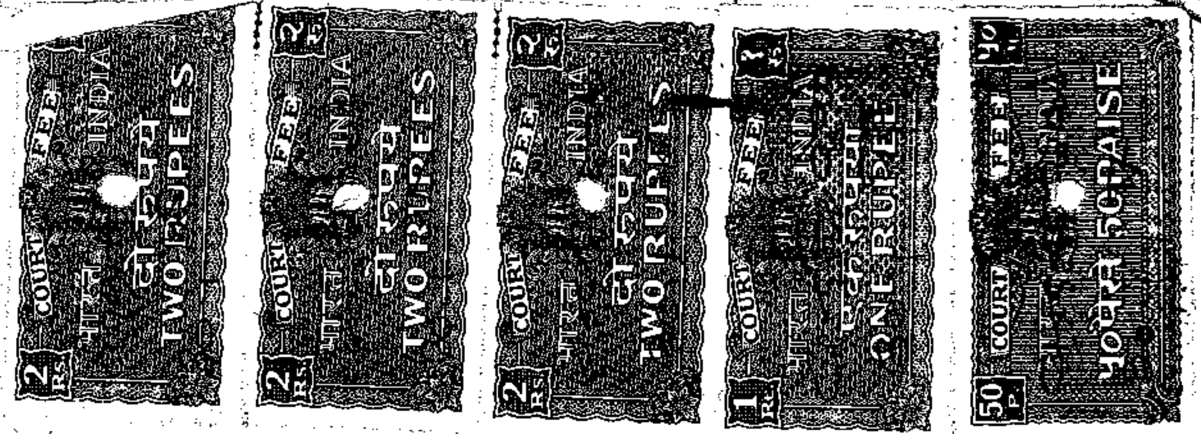

रिव्यू 1/I/93 न्यायालय राजस्व मण्डल म०प्रदेश ग्वालियर C.C. 8752

प्र०क्र० /93 पुनरावलोकन 2

§1§ अनंतसिंह पुत्र चन्दनसिंह ठाकुर §भिलाल§

§2§ कुं० ममता पुत्री अनंतसिंह ठाकुर §भिलाल§

निवासी - नागेश्वर मोहल्ला बड़वाह जिला खरगोन ——— प्रार्थी

बनाम

हासम खाँ पुत्र कासम खाँ

निवासी - बड़वाह जिला खरगोन --प्रतिप्रार्थी

2 - I

वन्दना केल्कर 1.2.93

1.2.93

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 51 भू-राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश तारीख 18-7-91

निग०प्र०क्र० 14/अपील/89 दिनांक 18/7/91 के विरुद्ध प्रस्तुत।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यू.01–एक/1993 [अनंतसिंह/सालन खां] **जिला खरगोन**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14–6–2016	उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के रिव्यु प्रकरण की ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। यह रिव्यु प्रकरण इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 14–चार/1989 में पारित आदेश दिनांक 18–7–1991 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी । 2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती । 3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया हैं उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है, इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभयपक्ष सूचित हों । **(मनोज गोयल)** **अध्यक्ष**	